न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत नांगल भरडा)
मु.न. 16/2016

उनवान

1. राजेश सैन पुत्र स्व0 श्री रामेश्वर प्रसाद सैन, जाति नाई, निवासी ग्राम नांगल भरडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

बनाम

1. श्रीमति भंवरी देवी पुत्री स्व0 रामेश्वर, जाति नाई, निवासी न्यू कॉलोनी, दिल्ली रोड, शाहपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
2. श्रीमति दुर्गा देवी पुत्री स्व0 रामेश्वर, जाति नाई, निवासी अनाज मण्डी के पीछे बस स्टेण्ड शाहपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
3. श्रीमति मंजू देवी पुत्री स्व0 रामेश्वर, जाति नाई, निवासी जमुनापुरी, मकान नम्बर बी–177/ए195, मुरलीपुरा जयपुर, जिला जयपुर।
4. श्रीमति उमेश पुत्री स्व0 रामेश्वर, जाति नाई, निवासी मु0 पो0 थोई, वाया कांवट जिला सीकर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौमूं, जिला जयपुर।

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 19.06.2006 द्वारा मृतक रामेश्वर प्रसाद सैन की पुत्रियों का बिना किसी कानूनी अधिकार के एकपक्षीय रूप से बिना सुनवाई का मौका दिये नामान्तकरण स्वीकार किया जाकर नामान्तकरण खोला गया।

निर्णय दिनांक 25.05.2017

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प ग्राम पंचायत नांगल भरडा मे पेश हुई। अपीलान्ट की ओर से अपील भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपील हाजा के सम्बन्धित संक्षेप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी के पिता रामेश्वर प्रसाद सैन थे, जिनकी खातेदारी की भूमि ग्राम नांगल भरडा, पटवार हल्का नांगल भरडा, भू अभिलेख निरीक्षक खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित हैं, जिसका खसरा नम्बर 347/2059, 60, 61, 62 किता 4 का कुल रकबा 2.87 हैक्टेयर हैं, जिसमें रामेश्वर पुत्र श्री बाल्या का 1/3 अविभाजित हिस्सा रहा हैं।

रामेश्वर प्रसाद सैन अपने जीवन काल में उक्त खातेदारी भूमि पर अपने पुत्रों के साथ काबिज काश्त रहे तथा रामेश्वर प्रसाद जी के चार पुत्र व चार पुत्रियों का जन्म हुआ तथा रामेश्वर प्रसाद जी ने अपने पुत्रियों का विवाह अपने जीवन काल में ही काफी धूमधाम से कर दिया और रामेश्वर प्रसाद जी की पुत्रियां श्रीमति भंवरी, दुर्गा, मन्जू, एवं उमेश अपने ससुराल में निवास करती चली आ रही हैं और जिनका ना तो विवाह से पूर्व उक्त खातेदारी भूमि से कोई सम्बन्ध, सरोकार था और ना ही विवाद के उपरान्त उक्त खातेदारी भूमि से कोई सम्बन्ध एवं सरोकार रहा है और ना ही रामेश्वर प्रसाद जी की पुत्रियों का रामेश्वर प्रसाद जी के उक्त खातेदारी भूमि पर कोई कब्जा काश्त ही रहा हैं।

रामेश्वर प्रसाद की मृत्यु के उपरान्त उक्त खातेदारी भूमि पर रामेश्वर प्रसाद जी ने अपने जीवन काल में अपने चारों पुत्रों को उक्त खातेदारी भूमि पर काबिज करवा दिया। राजेश कुमार को शंकर लाल बचपन में मनोहपुर दत्तक पुत्र के बतौर निवास मृत्यु के समय से चन्द्र प्रकाश जयपुर निवास कर रहा हैं। इस प्रकार अपीलार्थी का उक्त खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं, जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

भूमि में 1/4 हिस्सा हैं, जिस पर रामेश्वर प्रसाद जी के जीवन काल से ही उनकी इच्छा के अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं और इस प्रकार उक्त भूमि पर रामेश्वर प्रसाद के जीवनकाल से ही रामेश्वर प्रसाद के चारों पुत्रों के अलावा अन्य किसी का कोई सम्बन्ध एवं सरोकार नही रहा हैं।

प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 4 जो कि रामेश्वर प्रसाद जी की पुत्रियां है और जिनका विवाह भी वर्षो पूर्व हो गया है जिनका रामेश्वर प्रसाद एवं उनकी खातेदारी भूमि पर कोई सम्बन्ध, एवं सरोकार नही रहा है। किन्तु रामेश्वर प्रसाद जी के अन्य पुत्रों ने रामेश्वर प्रसाद जी की उक्त सम्पत्ति को हडपने के मकसद से आये दिन कार्यवाही करते रहते हैं, ताकि मिन अपीलार्थी की खातेदारी भूमि को हडप सके और मिन अपीलार्थी को उसके कब्जे एवं अधिकारों की भूमि से वंचित कर सके।

ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तकरण खोले जाने से पूर्व ना तो मिन अपीलार्थी को सूचना ही प्रेषित की और ना ही ग्राम में किसी प्रकार की आपत्तियां मांगी गयी और ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों के अपीलार्थी के भाई एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 4 से मिलकर एकपक्षीय रूप से नामान्तकरण खोले जाने का आदेश पारित कर दिया जो कि विधिक विरूद्ध हैं एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत हैं।

अतः अपील अपीलार्थी प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन हैं कि अपील स्वीकार फरमायी जाकर योग्य ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.06.2006 अपास्त किया जावें तथा नामान्तकरण कमांक 551 जो प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 4 के नाम खोला गया उसे निरस्त किया जावें।

अपीलान्ट की अपील व नामान्तकरण संख्या 551 दिनांक 20.06.06 ग्राम पंचायत नांगल भरडा तहसील चौमूं का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट ने अपनी अपील में उल्लेख किया है कि मृतक रामेश्वर के चार पुत्र व चार पुत्रियों का जन्म हुआ था। इस प्रकार मृतक रामेश्वर के चार पुत्र शंकर, राजेश, चन्द्रप्रकाश, ओमप्रकाश व चार पुत्रियां भंवरी, दुर्गा, मंजू व उमेश देवी वारिस हैं। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार पैतक सम्पत्ति मे पुत्र एवं पुत्रियों का जन्म से ही समान अधिकार होता है। पुत्रियो के विवाह उपरान्त उनके अधिकार समाप्त नही होते है। हस्तगत अपील में मृतक रामेश्वर का अपीलाधीन नामान्तकरण सभी वारिसों के नाम खोला गया हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तकरण तस्दीक करने में कोई त्रुटी नही की हैं। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती हैं।

निर्णय आज दिनांक 26.05.2017 को मेरे द्वारा कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत नांगल भरडा में न्यायालय मे सुनाया गया।

(अशोक कुमार योगी)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner